राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 380/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपाल लाल अटल मकान न. 1484, गंगापोल दरवाजा, पुलिस चौकी के पास, रैगरों का मोहल्ला जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव (द्वितीय) राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.एल.मलिक, उप सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 27-6-17 के द्वारा आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या 2496/2017 की सम्पूर्ण पत्रावली मय नोटशीट एवं विभिन्न तिथियों को आयोग को प्रेषित की गई अपीलों तथा विभिन्न अपीलों में सुनवाई की तिथि, निर्णय की दिनांक, अपील संख्या 102/2017 में पारित निर्णय दिनांक 21-8-17, जो कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील के साथ संलग्न कर प्रेषित किया गया है, की अनुपालना के संबंध में कतिपय सूचना चाही गई थी। प्रथम अपीलीय निर्णय के उपरान्त भी सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अपील के साथ प्रथम अपील संख्या 102/17 में पारित निर्णय दिनांक 21-8-17 की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है उक्त निर्णय में अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना देने के निर्देश दिये गये हैं जबकि उक्त निर्णय आवेदन दिनांक 27-6-17 से सम्बन्धित नहीं है। हस्तगत अपील में प्रस्तुत सूचना का आवेदन दिनांक 27-6-17 आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील संख्या 164/17 में पारित निर्णय दिनांक 30-11-17 में निर्देशित किया था कि अपीलार्थी के अनुरोध पत्र का जवाब नियमानुसार उपलब्ध करवाया जावे। तदुनसार अपीलार्थी को द्वितीय अपील संख्या 2496/17 के सम्बन्ध में वांछित सूचना अपीलोत्तर की पृष्ठांकित प्रति के साथ संलग्न कर प्रेषित कर दी गई थी एवं अपीलार्थी को अपीलोत्तर दिनांक 13-3-18 से संसूचित कर दिया गया था

कि चाही गई सूचना अति वृहद सूचना है, इससे आयोग के संसाधनों का अननुपातिक रुप से विचलन होता है तथा आवेदन में विशिष्टियों का भी अभाव है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 13-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील के साथ प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 162/17 का सम्बन्ध हस्तगत अपील में प्रस्तुत सूचना के आवेदन से नहीं है। अतः उक्त आवेदन के क्रम में अपीलार्थी की अपील पोषणीय नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है।

8. हस्तगत अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त